राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर

निर्णय

1- एकल पीठ सिविल प्रकीर्ण अपील संख्या 926/1999

शमीम बानू व अन्य बनाम मदनलाल व अन्य।

2- एकल पीठ सिविल प्रकीर्ण अपील संख्या 1014/1999

मदनलाल बनाम मुस0 शमीम बानू व अन्य।

उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम 1988 विरुद्व निर्णय दिनांक 5/3/99, जो श्री भीमसेन लेखरा, न्यायाधीश, मोटर यान दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, सीकर द्वारा एम.ए.सी.टी. प्रकरण संख्या 150/95 में पारित किया गया है।

दिनांक:30.9.10

माननीय न्यायाधिपति श्री सज्जनसिंह कोठारी

अपील संख्या 926/1990 में-

अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अरविन्द कुमार पारीक उपस्थित।

विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता श्री आर.के.माथुर की ओर से अधिवक्ता श्री अतुल शर्मा उपस्थित।

विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद त्यागी उपस्थित।

अपील संख्या 1014/1999 में-

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री आर.के.माथुर की ओर से अधिवक्ता श्री अतुल शर्मा उपस्थित।

विपक्षी संख्या 7 बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता श्री आर.पी.

विजय उपस्थित।

<u>न्यायालय द्वारा-</u>

1- प्रस्तुत दोनों सिविल विविध अपीलें मोटर यान दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, सीकर (जिसे आगे केवल न्यायाधिकरण ही लिखा जावेगा) के निर्णय दिनांक 5/3/99 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी हैं।

2- संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 29/6/95 को दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त असलम खां के विधिक प्रतिनिधियों शमीम बानू आदि ने दिनांक 1/9/95 को उक्त न्यायाधिकरण में एक क्लेम आवेदन इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि दिनांक 29/6/95 को असलम खां ट्रक संख्या आर.जे.-23-जी-0333 में सीकर से अपने गांव बेसवा जाने के लिये यात्रा कर रहा था। जब यह ट्रक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर सबलपुरा व पुरां की ढाणी के मध्य पहुंचा तो दोपहर 2.30 बजे ट्रक चालक मदनलाल ने उसे तेजी व लापरवाही से चलाकर आगे जा रहे वाहन ट्रेक्टर को ओवरटेक करना चाहा और इसी गफलत, लापरवाही व तेज गति के कारण ट्रक सडक पर पलट गया जिसके फलस्वरुप असलम खां की ट्रक के नीचे दब कर मौके पर ही मृत्यु हो गयी। असलम खां के साथ ट्रक के केबिन में पवन कुमार भी बैठा हुआ था जिसके भी चोटें आयीं। 30 वर्ष की आयु में असलम खां की मृत्यु के कारण हुई क्षति हेतु प्रतिकर दिलाने बाबत क्लेम आवेदन में पूर्ण विवरण देते हुए प्रार्थना की गयी। क्लेम आवेदन में मदनलाल को विपक्षी संख्या 1 व 2 के रुप में वाहन चालक तथा वाहन के स्वामी के रुप में संयुक्त किया गया और इस प्रकार बीमाकर्ता के रुप में विपक्षी संख्या 3 बीमा कंपनी को विपक्षी बनाकर इनसे संयुक्त एवं पृथक पृथक रुप से क्षतिपूर्ति राशि चाही गयी। ट्रक के चालक एवं स्वामी मदनलाल की ओर से दुर्घटना कारित होने तथा इसके वाहन से असलम खां की मृत्यु होने से इन्कार किया गया। बीमा कंपनी की ओर से यह तर्क लिया गया कि असलम खां इस ट्रक में बैठ

कर सवारी के रुप में यात्रा कर रहा था जो बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन है और चालक के पास वैध ड्राईविंग लाइसेन्स नहीं होने संबंधी आपत्ति भी ली गयी। दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये :-

1- क्या दिनांक 29/6/95 को असलम व पवन कुमार ट्रक संख्या आर.जे.-23-जी-0333 में अपने गांव बेसवा जा रहे थे, ट्रक का मालिक व चालक मदनलाल था। उसने ट्रक को गफलत व लापरवाही से चलाकर उलट दिया जिससे असलम की मृत्यु हो गई ?

2- क्या प्रार्थीगण 26,60,000/- रुपये अप्रार्थीगण से बतौर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं ?

3- अनुतोष ?

प्रार्थीगण की ओर से साक्ष्य में मृतक के पिता जाफर अली, पत्नी शमीम बानू एवं इस ट्रक में यात्रा कर रहे पवन कुमार के कथन लेखबद्व कराते हुए प्रदर्श 1 लगायत 10 दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया गया। बीमा कंपनी की ओर से अपने शाखा प्रबन्धक अनिल कुमार एवं सर्वेयर महेश-कुमार को परीक्षित कराते हुए प्रदर्श एन.ए.1 बीमा पॉलिसी तथा एन.ए.2 सर्वे रिपोर्ट प्रदर्शित करायी गयी। न्यायाधिकरण द्वारा विवाद्यक संख्या 1 प्रार्थीगण के पक्ष में विनिश्चित करते हुए विवाद्यक संख्या 2 पर यह निष्कर्ष अभिलिखित किया गया कि प्रार्थीगण असलम खां की असामयिक मृत्यु के कारण क्षतिपूर्तिस्वरुप 1,96,000/- रुपये की राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। न्यायाधिकरण द्वारा बीमा कंपनी का यह तर्क तो अस्वीकृत किया गया कि असलम खां के सवारी के रुप में ट्रक में यात्रा करने के कारण बीमा कंपनी का कोई दायित्व नहीं है किन्तु दुर्घटना की दिनांक को ट्रक चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेन्स नहीं होने के कारण बीमा कंपनी को दायित्व से उन्मुक्त करते हुए ट्रक के चालक एवं स्वामी मदनलाल को उक्त क्षतिपूर्ति

राशि के लिये दायित्वाधीन माना।

3- उक्त निर्णय दिनांक 5/3/99 से व्यथित होकर असलम खां के विधिक प्रतिनिधियों शमीम बानू आदि ने तथा ट्रक चालक एवं स्वामी मदनलाल ने पृथक-पृथक अपीलें प्रस्तुत की हैं।

4- मृतक असलम खां के विधिक प्रतिनिधियों शमीम बानू आदि के विद्वान अभिभाषक के तर्क इस प्रकार हैं कि दुर्घटना के समय मृतक की आय 4000/- रुपये मासिक थी जिसे स्वीकार नहीं कर न्यायाधिकरण ने यह आय मात्र 15,000/ रुपये वार्षिक मानी और मृतक के विधिक प्रतिनिधियों की संख्या को विचार में नहीं लेकर इसमें से भी एक तिहाई राशि 5000/- रुपये कम कर केवल 18 का गुणक देकर क्षतिपूर्ति की राशि की गणना की है जो उचित नहीं है। प्रार्थीगण को हुए मानसिक संताप के निमित्त प्रत्येक प्रार्थी को केवल 2000/- रुपये और इस प्रकार मात्र 14,000/- रुपये की राशि दिलायी गयी है जो अपर्याप्त है। मृतक की पत्नी, पुत्र एवं पुत्रियों को उनके पति/पिता के दाम्पत्य सुख/ सान्निध्य से वंचित होने के निमित्त पर्याप्त राशि नहीं दिलायी गयी है। ट्रक चालक के पास वाहन चलाने का लाईसेन्स था, केवल मात्र दुर्घटना के दिन उसका नवीनीकरण नहीं होने के आधार पर बीमा कंपनी को दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है। अत: क्षतिपूर्ति राशि में समुचित वृद्वि करते हुए राशि अदायगी हेतु बीमा कंपनी को भी संयुक्त रुप से दायित्वाधीन बनाया जावे।

5- ट्रक के चालक एवं स्वामी मदनलाल की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये हैं कि अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि ट्रक चालक मदनलाल वाहन को तेज एवं गफलत से चला रहा था। इसके बावजूद भी ट्रक चालक को इस हेतु दोषी मान लिया गया है। असलम खां का ट्रक में बैठ कर यात्रा करना सिद्व नहीं है और इस संबंध में ए.डब्लू.3 साक्षी पवन कुमार के कथन विश्वसनीय नहीं है। विद्वान

न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी मदनलाल के विरुद्व प्रस्तुत आपराधिक मामले को विचार में लेकर इसके द्वारा तेज एवं लापरवाही से वाहन चला कर दुर्घटना होना मान लिया है, साथ ही क्षतिपूर्ति राशि भी बहुत अधिक दिलायी है। ट्रक माल वाहन है जिसमें यात्रा कर रहे यात्री मृत्यु एवं क्षति के कारण कोई राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। साथ ही लाईसेन्स का नवीनीकरण नहीं करने मात्र से बीमा कंपनी को क्षतिपूर्ति अदायगी के दायित्व से उन्मुक्त नहीं किया जा सकता। अत: अपील स्वीकार कर अपीलार्थीगण शमीम बानू आदि की ओर से प्रस्तुत क्लेम अस्वीकृत किया जावे और ऐसा नहीं करने की स्थिति में अवार्ड की अदायगी हेतु बीमा कंपनी को दायित्वाधीन करार दिया जावे। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि बीमा पॉलिसी का उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में भी प्रथम राशि अदायगी का दायित्व बीमा कंपनी का है जिसे वह वाहन स्वामी से प्राप्त करने की अधिकारी है। इस संबंध में विनिर्णय नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी बनाम सावित्री देवी व अन्य (2004)1 एस.सी.सी.596 प्रस्तुत किया गया। इसके विरोध में बीमा कंपनी की ओर से विनिर्णय नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लि0 बनाम विद्याधर महरीवाला व अन्य (2008)12 एस.सी.सी.701 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि बीमा कंपनी को दायित्व से उन्मुक्त करने का न्यायाधिकरण का निष्कर्ष पूर्णत: उचित है। उनका यह भी तर्क है कि असलम के ट्रक में किराया देकर यात्रा करने के कारण बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन हुआ है। इस कारण भी बीमा कंपनी का क्षतिपूर्ति की अदायगी का कोई दायित्व नहीं बनता। फलस्वरुप अपील अस्वीकृत की जावे।

6- मैनें विद्वान न्यायाधिकरण के आक्षेपित निर्णय, प्रस्तुत हुई मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य एवं उक्त विधिक दृष्टान्तों का अवलोकन करते हुए

दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। जहां तक बीमा कंपनी के इस तर्क का प्रश्न है कि ट्रक में किराया देकर असलम को बैठाने के फलस्वरुप बीमा पॉलिसी की शर्त का उल्लंघन हुआ है और फलस्वरुप बीमा कंपनी प्रतिकर देने हेतु उत्तरदायी नहीं है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। उल्लेखनीय है कि बीमा कंपनी ने आक्षेपित निर्णय में उक्त संबंध में निकाले गये निष्कर्ष को प्रति आपत्ति प्रस्तुत कर या अन्य किसी प्रकार चुनौती नहीं दी है इसके अतिरिक्त न्यायाधिकरण ने अपने निर्णय में विधि दृष्टान्त यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेंस कंपनी बनाम श्रीमती लाधुदेवी एवं अन्य, आर.एल.डब्लू.1 997 (3) राजस्थान पृष्ठ 1865 को उद्वृत किया है जिसमें यह अभिनिर्धारित है कि उक्त परिस्थिति में बीमा कंपनी प्रतिकर देने के लिये उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त हस्तगत मामले में यह भी सिद्व नहीं हुआ है कि असलम इसमें किराया देकर यात्रा कर रहा था। इस संबंध में केवल मात्र सुसंगत एवं प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ए.डब्लू.3 पवनकुमार पेश हुआ है जिसका कथन है कि असलम पहले ही ट्रक में बैठा था। ट्रक चालक अपने रिश्तेदार या जानकार को ही ट्रक में बिना पैसे के बैठाता है और उसे पता नहीं कि असलम ने पहले ही पैसे ट्रक ड्राईवर को दिये हों। इस प्रकार असलम का किराया देकर ट्रक में यात्रा करना भी सिद्व नहीं है। कुल मिलाकर बीमा कंपनी का एतदसंबंधी तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

7- दुर्घटना के समय ट्रक चालक के पास ड्राईविंग लाईसेन्स के संबंध में स्थिति इस प्रकार है कि बीमा कंपनी की ओर से अपने शाखा प्रबन्धक एन.ए.1 अनिल कुमार को पेश किया गया है जिसने यह कथन किया है कि चालक मदनलाल का अनुज्ञा पत्र संख्या 3067 दिनांक 28/3/92 डी.टी.ओ. सीकर ने जारी किया था जिसकी अवधि दिनांक 28/3/92 से 17/3/95 तक की थी। इसके बाद यह लाईसेन्स दिनांक 22/11/95 को रिन्यू हुआ है। इस

प्रकार दुर्घटना की तिथि 26/6/95 को यह लाईसेन्स वैध नहीं था। इस संबंध में जांच रिपोर्ट प्रदर्श एन.ए.2 को प्रदर्शित कर कथन किया गया है कि इसके अनुसार बीमा कंपनी की प्रतिकर की जिम्मेदारी नहीं बनती है। बीमा पॉलिसी प्रदर्श ए-2 भी प्रदर्शित करायी गयी है जिसमें चालक के पास वैध लाईसेन्स होना आवश्यक होने की शर्त उल्लिखित है। बीमा कंपनी की ओर से दूसरा साक्षी सर्वेयर महेश कुमार पेश किया गया है जिसने कथन किया है कि इसने डी.टी.ओ. सीकर का रिकॉर्ड देखकर प्रदर्श एन.ए.2 रिपोर्ट तैयार की थी। यह रिपोर्ट प्रदर्शित करायी गयी है जिसमें ट्रक चालक के लाईसेन्स से संबंधित समस्त विवरण उल्लिखित है। इसमें यह भी उल्लिखित है कि लाईसेसिंग अधिकारी सीकर द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति भी संलग्न की जा रही है। यह रिपोर्ट भी स्पष्ट प्रदर्शित करती है कि चालक का लाईसेन्स दिनांक 27/3/95 तक था और इसके बाद दिनांक 22/11/95 को ही रिन्यू हुआ। इस प्रकार दिनांक 28/3/95 से 21/11/95 तक ट्रक चालक के पास कोई भी वैध ड्राईविंग लाईसेन्स नहीं होने की स्थिति स्पष्ट है। बहस के दौरान इस स्थिति को दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है। अपीलार्थीगण का तर्क मात्र यही है कि भले ही चालक मदनलाल ने अपने लाईसेन्स का विलम्ब से नवीनीकरण कराया हो किन्तु इससे यह नहीं माना जा सकता कि वह वाहन को चलाने का अधिकारी ही नहीं था या अवैध लाईसेन्सधारी था।

8- बहस के दौरान यह स्थिति भी स्वीकार की गयी है कि लाईसेन्स की अवधि समाप्त होने से पूर्व या इसके तीस दिन की अवधि में डी.टी.ओ. कार्यालय में लाईसेन्स के नवीनीकरण हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली का अवलोकन भी यही दर्शाता है कि इस संबंध में ऐसा कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है कि लाईसेन्स की अवधि समाप्ति से पूर्व या

अवधि समाप्ति के तीस दिन के अन्दर नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हो। अपीलार्थी ट्रक चालक मदनलाल स्वयं तो न्यायाधिकरण में पेश ही नहीं हुआ और उसके द्वारा उक्त प्रकार की कोई स्थिति समक्ष लाकर ऐसा दर्शित नहीं किया जा सका है कि डी.टी.ओ. कार्यालय में देरी हो जाने के कारण लाईसेन्स का नवीनीकरण नहीं हो सका। डी.टी.ओ. कार्यालय के किसी कर्मचारी को भी पेश कर ऐसा समक्ष नहीं लाया गया कि लाईसेन्स अवधि निकलने से पूर्व या इसके तीस दिन के अन्दर नवीनीकरण हेतु कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था। विद्वान न्यायाधिकरण ने इस संबंध में प्रस्तुत हुई साक्ष्य का विस्तार से विवेचन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु दुर्घटना की तिथि से लगभग पांच माह बाद दिनांक 22/11/95 को आवेदन प्रस्तुत किया गया जिससे स्पष्ट है कि दुर्घटना के समय ट्रक चालक के पास वैध लाईसेन्स नहीं था और बीमा पॉलिसी की संबंधित शर्त का उल्लेख करते हुए यह निर्धारित किया गया कि ऐसी शर्त के उल्लंघन के कारण बीमा कंपनी का क्षतिपूर्ति अदायगी का कोई दायित्व नहीं बनता।

9- उक्त संबंध में विधिक स्थिति भी पूरी तरह स्पष्ट है। विनिर्णय ईश्वरचन्द्र एवं अन्य बनाम ओरियन्टल इन्श्योरेंस कंपनी लि0 एवं अन्य (2007)10 एस.सी.सी.650 में एतदसंबंधी सभी विधि दृष्टान्तों एवं प्रावधानों का विवेचन कर यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि वाहन दुर्घटना के समय ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा हो जिसके लाईसेन्स की अवधि समाप्त हो चुकी है और उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया है तथा लाईसेन्स की वैधता की तिथि के तीस दिन पश्चात तक नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो इसके उपरान्त दुर्घटना की स्थिति में बीमा कंपनी क्षति के लिये दायित्वाधीन नहीं होगी। इस निर्णय का पैरा

संख्या 9 निम्न प्रकार है :-

> "9.From a bare perusal of the said p rovision, it would appear that the lice nce is renewed in terms of the said Act and the rules framed thereunder. The proviso appended to Section 15(1) of th e Act in no uncertain terms states that whereas the original licence grante d despite expiry remains valid for a peri od of 30 days from the date of expiry, i f any application for renewal thereof i s filed thereafter, the same would be r enewed from the date of its renewal. T he accident took place on 28.4.1995. As on the said date, the renewal appli cation had not been filed, he driver did not have a valid licence on the date whe n the vehicle met with the accident."

10- माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दूसरे विनिर्णय नेशनल इन्श्योरेंस कंपनी लि0 बनाम विद्याधर महरीवाला व अन्य (2008) 12 एस.सी.सी.701 में भी उक्त स्थिति को पुष्ट किया है। इसमें तथ्य इस प्रकार थे कि दुर्घटना की तारीख 11/6/2004 को वाहन चालक का लाईसेन्स वैध नहीं था और फलस्वरुप बीमा कंपनी ने पॉलिसी के उल्लंघन के कारण अपने दायित्व से इन्कार किया। इसमें चालक का लाईसेन्स पहले दिनांक 15/12/97 से 14/12/2000 और फिर 29/12/2000 से 14/12/2003 तक वैध था, फिर दिनांक 16/5/005 से 15/5/2008 तक के लिये नवीनीकृत हुआ। मोटर दुर्घटना दावा अधिकारी रतनगढ (चुरु) ने यह निर्धारित किया कि दुर्घटना की तारीख को भले ही लाईसेन्स वैध नहीं हो किन्तु दिनांक 16/5/2005 को आगामी तीन वर्ष के लिये लाईसेन्स का नवीनीकरण कर दिया गया अत: यह नहीं कहा जा सकता कि बीच की अवधि में ड्राईवर ट्रक चलाने के लिये अक्षम या अयोग्य था। इसके विरुद्व प्रस्तुत अपील को राजस्थान उच्च न्यायालय ने ही अस्वीकृत कर यह निर्धारित किया कि

बीमा कंपनी अवार्ड की संतुष्टि करने के लिये बाध्य है। इस निर्णय के विरुद्व माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की गयी जो स्वीकार करते हुए माननीय शीर्ष न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि ईश्वरचन्द्र वाले मामले में यह निर्धारित किया जा चुका है कि इस प्रकार की प्रकृति के मामले में बीमा कंपनी का कोई दायित्व नहीं होगा और वही स्थिति इस मामले में भी लागू है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित विधि के प्रकाश में निर्विवाद रुप से यही स्थिति समक्ष आती है कि दुर्घटना के दिन ट्रक चालक के पास वैध लाईसेन्स नहीं होने के कारण बीमा कंपनी का क्षतिपूर्ति का कोई दायित्व नहीं बनता।

11- अब हमें यह देखना है कि क्या विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा असलम की मृत्यु के फलस्वरुप उसके विधिक प्रतिनिधिगण शमीम बानू आदि को दिलायी गयी क्षतिपूर्ति की राशि समुचित है या यह राशि वृद्वि किये जाने योग्य है। दुर्घटना के समय मृतक की आयु तीस वर्ष होने के संबंध में कोई विवाद नहीं है। अपीलार्थीगण ने मृत्यु के समय उसकी आय 4000/- रुपये मासिक होना बताया है किन्तु इसकी आय के संबंध में कोई भी हिसाब किताब, आयकर रिटर्न या अन्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ है। ऐसा भी समक्ष नहीं आया है कि असलम के स्वयं के नाम पर कोई ट्रक या अन्य वाहन हो। असलम के पिता ए.डब्लू.1 जाफर अली का कथन है कि असलम ट्रक में बकरे -बकरी आदि जानवर भरकर दिल्ली ले जाकर बेचता था। प्रतीत यही होता है कि वह ट्रक पर इस कार्य हेतु नियोजित था। मृतक की पत्नी शमीम बानू ए.डब्लू.2 का कथन है कि इसने अपने पति की कमाई का कोई हिसाब किताब पेश नहीं किया है। जिस ट्रक में इसका पति जा रहा था, वह हमारा नहीं था। ऐसी साक्ष्य के प्रकाश में न्यायाधिकरण ने न्यूनतम आय के हिसाब से असलम की मृत्यु के समय उसकी आय 15,000/-

वार्षिक मानी है। यदि हम तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर को विचार में लें तो यह आय 832/- रुपये से 884/- रुपये मासिक के बीच की थी। इसके प्रकाश में न्यायाधिकरण द्वारा मृतक असलम की आय को 15000/- रुपये वार्षिक माना जाना उचित प्रतीत होता है।

12- मृतक पर अपीलार्थीगण की निर्भरता के संबंध में स्थिति यह है कि इसकी पत्नी तथा चार पुत्र पुत्रियां इस पर पूर्णत: निर्भर हैं। जहां तक माता पिता का प्रश्न है, यह स्थिति नहीं है कि असलम अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हो। इसके पिता जाफर अली ने स्वयं न्यायालय में कथन किया है कि असलम इसका सबसे बडा लडका था। इससे प्रतीत होता है कि असलम के अन्य भाई भी जीवित हैं और ऐसी स्थिति में इसके माता पिता को पूर्णत: इसपर आश्रित नहीं माना जा सकता। विद्वान न्यायाधिकरण ने उक्त प्रकार निर्धारित असलम की वार्षिक आय 15,000/- रुपये में से एक तिहाई हिस्सा स्वयं पर किये जाने वाले खर्चे के निमित्त कम करके 10,000/- रुपये वार्षिक परिवार की निर्भरता राशि मानते हुए इसमें अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार 17 का गुणक नहीं देकर अधिकतम 18 का गुणक दिया है और इस प्रकार निर्धारित की गयी राशि 1,80,000/- रुपये को कम मानने का कोई समुचित एवं न्यायोचित कारण समक्ष नहीं है। विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा 14,000/- रुपये की राशि अपीलार्थीगण को मानसिक संताप के निमित्त तथा 2000/- रुपये की राशि दाह संस्कार के निमित्त दिलायी गयी है। मोटर वाहन अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में दी गयी सारिणी के प्रकाश में यह राशि भी उचित ही माने जाने योग्य है। मृतक की पत्नी को दाम्पत्य सुख एवं पति सहवास से वंचित होने के निमित्त 5000/- रुपये या अधिक राशि दिलायी जा सकती थी किन्तु न्यायाधिकरण द्वारा इस मद में कुल 14,000/- रुपये की राशि

दिला दी गयी है और ऐसी स्थिति में इस दिलायी गयी राशि में भी वृद्वि किये जाने का कोई उचित आधार प्रतीत नहीं होता। मृतक की पत्नी शमीम बानू ए.डब्लू.2 का यह कथन है कि उसके पास दस बीघा जमीन है और यह खेतीबाडी का कार्य करती है जिससे भी शमीम बानू को कुछ आय अर्जित होना प्रतीत होता है। कुल मिलाकर मैं इस मत का हूं कि विद्वान न्यायाधिकरण ने मृतक असलम के व्यवसाय, अभिलेख पर आये समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार कर जो क्षतिपूर्ति राशि अपीलार्थीगण को दिलायी, वह विधिसम्मत एवं उचित ही जान पडती है जिसमें हस्तक्षेप कर इस राशि में वृद्वि किये जाने का मामला अपीलार्थीगण प्रमाणित नहीं कर सके हैं और फलस्वरुप इस संबंध में भी अपील अपीलार्थीगण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

13- उक्त विवेचन के प्रकाश में अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उपर्युक्त दोनों अपीलें अस्वीकृत करते हुए विद्वान मोटर यान दुर्घटना वाद न्यायाधिकरण, सीकर के निर्णय दिनांक 5/3/99 की पुष्टि की जाती है।

(सज्जनसिंह कोठारी)

न्यायाधिपति

/राम/